न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 63/2013

1. चुन्नीलाल पुत्र श्री पतराम जाति शर्मा निवासी ताखरावाली (चक 7 टीकेडब्लयू) तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर।
2. इन्द्राज पुत्र श्री भैराराम जाति जाट निवासी ताखरावाली (चक 7 टीकेडब्लयू) तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर।
3. धर्मपाल पुत्र श्री चेतराम जाति जाट निवासी ताखरावाली (चक 7 टीकेडब्लयू) तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर।
4. हरीराम पुत्र श्री गणपतराम जाति नायक निवासी ताखरावाली (चक 7 टीकेडब्लयू) तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर।
5. बृजलाल पुत्र श्री हंसराज निवासी ताखरावाली (चक 7 टीकेडब्लयू) तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

4. ग्राम पंचायत ताखरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जरिये सरपंच/सचिव
5. सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) जोधपुर विधुत वितरण निगम लि0 श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत ताखरावाली तहसील सादुलशहर संकल्प संख्या 3 दिनांक 14.04.2013 पूर्व प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.06.2012 के आधार पर शमशान की भूमि वाके चक ताखरवाली (7 टीकेडब्ल्यू) के मुरब्बा नम्बर 12/216 के किला नम्बर 16 ता 18, 22 ता 25 कुल 8 बीघा में किला नम्बर 25 को बिना क्षेत्राधिकार के अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा दिनांक 14.04.2013 को जारी किया गया–मनसुखी बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश :: **दिनांक: 10.03.2021**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानी आदेश एक पक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो एवं बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। निगरानीधीन आदेश बिना क्षेत्राधिकार के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है विवादित भूखण्ड किला नम्बर 25 मुरब्बा नम्बर 18 का ग्राम पंचायत ताखरवाली को आवंटन करके पट्टा जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उक्त भूखण्ड पूर्व में ही शमशान हेतु आरक्षित था जिसमें पिछले कई सालो से गांव के मृतको का दाह संस्कार किया जाता रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने ना केवल ग्रामवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है बल्कि निगरानी कर्ताओं के पूर्वजो का दाह संस्कार किया हुआ है को भी ठेस पहुंचाई है। निगरानीधीन आदेश एक पक्षीय रूप से गुपचुप तरीके से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है निगरानीधीन आदेश जारी करने से पूर्व विधि के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

क्षेत्राधिकार के अप्रार्थी संख्या 2 को

पूर्व किसी भी प्रकार की लोक सूचना (Public Notice) जारी नहीं किया, ना ही आवेदन आमन्त्रित किये गये ना ही कोई प्रस्तावित भूखण्ड का निरीक्षण किया गया ना ही एक माह की अवधि में ऐतराज पेश करने का नोटिस जारी किया, ना ही पंचायत स्वयम द्वारा 15 दिवस के भीतर तथ पंच कमेटी द्वारा कोई भूखण्ड का भौतिक निरीक्षण किया गया और ना ही ग्राम पंचायत ताखरवाली द्वारा कोई प्रस्ताव पारित कर स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष की जारी पट्टा नियमों की अवहेलना में पारित किया गया है जो कि निरस्ती योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नियम विरूद्व पारित किया गया है, विवादित भूखण्ड शमशन हेतू भाखड़ा के बन्दोबस्त से पूर्व वर्ष 1955 से पूर्व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतू आरक्षित चला आ रहा है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई अधिकार क्षेत्र पुनः आवंटन व पट्टा जारी करने का नही है। इसलिए पट्टा निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 ने जब विद्युत पोल मौके पर सड़क के किराने पर रखे तो प्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को नकल उपलब्ध करवाने का आवेदन किया और नकल दिनांक 09.10.2013 को उपलब्ध करवाई। इसलिए निगरानी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर श्रीमान जी को प्रस्तुत की जा रही है। अतः ग्राम पंचायत ताखरवाली द्वारा जारी पट्टा बुक संख्या 36 पट्टा संख्या 18 दिनांक 14.04.2013 को निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी से सबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया निगरानीधीन पट्टा पंचायती राज अधिनियम 97 की धारा 157(1) के तहत जारी किया गया है। आवासीय भूमि का पट्टा किसी व्यक्ति विशेष को आवंटन किया जाता है जबकि उक्त पट्टा किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित नहीं किया गया है। क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में पंचायत राज अधिनियम के नियम 136 के तहत आबादी भूमि का पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को है जबकि उक्त विवदित भूमि आबादी भूमि नहीं है शमशन की भूमि है। उक्त विवादित पट्टा जारी करने वक्त आवंटन के नियम 140 से 150 की पालना नहीं की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर नियमों के विरूद्व जारी पट्टा बुक संख्या 36 पट्टा संख्या 18 दिनांक 14.04.2013 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि आवंटन नियम 164 के तहत निशुल्क पट्टा सरकारी संस्था को जारी किया गया। राज्य सरकार से आवंटन के वक्त कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम के तहत निगरानी प्रभावी पक्षकार पेश कर सकता है। निगरानीकर्ताओं में ऐसा कोई प्रभावी पक्षकार नहीं है जिससे उनका कोई हित प्रभावित होता है ना ही इनके द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पास कर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 को विभाग द्वारा पट्टा जारी किया गया। निगरानी में ऐसा कोई दस्तावेज फाईल नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि निगरानी समय पर पेश की गई हो। अतः निगरानी मियाद से बाहर पेश की गई। प्रथम दृष्टया निगरानी मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावें।
अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई :-

1. आर.एल.डब्ल्यू 2004(4) पेज- 2321 से 2328
2. आर.एल.डब्ल्यू 2005(1) पेज- 478 से 480

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

... नम्बर 25 का बिना
क्षेत्राधिकार के अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा दिनांक ...

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि गैरनिगानीकर्ता संख्या 02 को पट्टा बुक संख्या 36 पट्टा संख्या 18 दिनांक 14.04.2013 जो जारी किया गया वह शमशान हेतु आरक्षित भूमि का जारी किया गया जिसको आवंटन करने एवं पट्टा जारी करने का क्षैत्राधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 को जारी पट्टा बुक संख्या 36 पट्टा संख्या 18 दिनांक 14.04.2013 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 10.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)